फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/66) **श्री मेघा गमेती व अन्य बनाम श्री पारू गमेती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सी.एस.आमेटा, प्रकाश मेघवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री मनीष शर्मा - वकील प्रत्यर्थी-1 3. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील प्रत्यर्थी-2 अनवान 1. श्री मेघा पिता स्व. श्री रोड़ा जी गमेती, निवासी ढ़ीकली, तहसील बड़गावं हाल निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर। 2. श्रीमती मगनीबाई पुत्री स्व. श्री रोड़ा जी गमेती, पत्नि श्री वजा भील, निवासी प्रतापनगर, उदयपुर। **अपीलार्थी** **बनाम** 1. श्री पारू पुत्र स्व. श्री गणेश जी गमेती, निवासी ढ़ीकली, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर। 2. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.11( )/ नियमन-1/90-ए/2022 दिनांक 22.04.2022 (आवेदन क्रमांक 30204)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 27.06.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.11( )/ नियमन-1/90-ए/2022 दिनांक 22.04.2022 (आवेदन क्रमांक 30204) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री पारू गमेती द्वारा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर समक्ष राजस्व ग्राम ढ़ीकली तहसील बड़गावं के आराजी संख्या 3262 किता 1 रकबा 0.2700 हेक्टेयर कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ खातेदारी अधिकार समर्पण किये जाने बाबत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा स्वीकार करते आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक एफ.11( )/ नियमन-1/90-ए/2022 दिनांक 22.04.2022 (आवेदन क्रमांक 30204) अन्तर्गत धारा-90क एलआर एक्ट का पारित किया। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक एफ.11( )/ नियमन-1/90-ए/2022 दिनांक 22.04.2022 (आवेदन क्रमांक 30204) से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। कार्यालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/66) **श्री मेघा गमेती व अन्य बनाम श्री पारू गमेती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 96 दिनांक 05.01.2024 के क्रम में हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस दर्ज रजिस्टर पर पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 20.06.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी प्रस्तुत सभी प्रार्थना पत्रों यथा धारा-5 मयाद अधिनियम, दफा 96 जादी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं गुणावगुण पर बहस सुनी गई। अधिवक्तागण की प्रकरण में मयाद के बिन्दु, दफा 96 जादी के बिन्दु, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27एवं प्रकरण में गुणावगुण पर बहस पर निम्नानुसार विचार एवं विश्लेषण किया गया। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित व मौखिक कथन प्रस्तुत किये है** कि अपीलार्थीगण की पेतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम ढ़ीकली में स्थित है, जिसका हाल आराजी नम्बर 3212, 3220, 3228, 3234, 3249-3251, 3262, 3266, 3267, 4330-4335 कुल किता 11 रकबा 3.8800 हैक्टेयर कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण के पिता रोड़ा भील पिता स्व. किशना भील के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में दर्ज थी। अपीलार्थीगण के पिता श्री रोड़ा भील की मृत्यु हो जाने उपरान्त उनकी खातेदारी की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेंट-1 के पिता श्री गणेश गमेती जो अपीलार्थी के काका उमा पिता श्री किशना भील का लड़का है, ने अपने आप को अपीलार्थीगण के पिता स्व. श्री रोड़ा का जायन्दा पुत्र बताकर अपने नाम दर्ज करा लिया, जो विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थी-1 के पिता श्री गणेश भील के वारिसानों पारू, वरदीबाई व धापु के नाम नामान्तरकरण खुला। तत्पश्चात हकत्याग से सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रत्यर्थी-1 के नाम उक्त कृषि भूमि के खातेदार के नाम से दर्ज हो गई, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रत्यर्थी-1 द्वारा उक्त आराजीयात में से आराजी संख्या 3262 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि का भू-रूपान्तरण आदेश धारा 90क दिनांक 22.04.2022 को पारित करा लिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 30.11.1998 जो अपीलार्थीगण के उक्त कृषि भूमि में निहित विधिक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से शुन्य होकर विधि विरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरणों की कार्यवाही की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बड़गावं उदयपुर में एक वाद प्रस्तुत किया, जिसमें नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर भी पक्षकार है, फिर भी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2022 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया, वह अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया, जिससे उसे अपीलाधीन निर्णय की किसी प्रकार जानकारी न हो सकी और जानकारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अपीलार्थी उक्त भूमि का अधिकारी होने अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के पेश की गई क्योंकि अपीलाधीन आदेश से उपरोक्त तथ्यानुसार अपीलार्थी के हित प्रथम दृष्टया प्रभावित होते है और अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, न नोटिस जारी किया गया और अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया, जिससे पारित निर्णय पूर्णतया अविधिक होकर काबिल निरस्त के है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त फरमाये जाने का निवेदन किया। **प्रत्यर्थी-1 द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन प्रस्तुत किये कि** आवेदित भूमि का प्रत्यर्थी-1 खातेदार काश्तकार है, जिसने विधिक प्रावधानों के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/66) **श्री मेघा गमेती व अन्य बनाम श्री पारू गमेती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत अपनी खातेदारी भूमि को समर्पित करते धारा-90 की कार्यवाही बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन किया, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए अखबार में उजरदारी आमत्रिंत करते हुए संबंधित विभागों एवं तहसीलदार से सहमति रिपोर्ट प्राप्त करते हुए आदेश अन्तर्गत धारा-90का पारित किया, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। उक्त संपरिवर्तित भूमि के पट्टे भी जारी किये जा चुके है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति नहीं है, उसके अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। धारा-90क की कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं किये जाते है, इस कार्यवाही हेतु खातेदार ही आवेदन प्रस्तुत कर धारा-90क की कार्यवाही करा सकता है। इस प्रकरण में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार श्री पारू द्वारा अपने खातेदारी अधिकार अधीनस्थ न्यायालय समक्ष समर्पित करते हुए धारा-90क की कार्यवाही हेतु आवेदन किया है। इस भूमि का अपीलार्थी कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहा। अपीलार्थी को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने हक व अधिकार सक्षम न्यायालय से तय करावें और अपने अधिकार तय कराने उपरान्त ही उसे अपील पेश करने का अधिकार है। जहां पर अपीलार्थी द्वारा कथित दावों के लम्बित होने का प्रश्न है, उन दावों में किसी प्रकार का स्थगन प्रदान नहीं किया गया है संक्षिप्त में यह लेख है कि अपीलार्थी न तो उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है, न उसका कब्जा है, ऐसी स्थिति में उसे अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अपील पूर्णतया मयाद बाधित है क्योंकि धारा-90क के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अखबार उजरदारी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और ऐसें में उसे अपीलाधीन आदेश की अपीलार्थी को आरम्भ से ही थी फिर भी न्यायालय हाजा समक्ष झुठे शपथ पत्र के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य हैं। **अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता** द्वारा अपने कथन प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश अन्तर्गत धारा-90क का आदेश पारित किया जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। विवादित आराजीयात तुलछा पिता मुकना के नाम राजस्व रेकर्ड में साबिक दर्ज रही है। आवेदत आराजीयात प्रत्यर्थी-1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से एक रेकर्ड खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन विधि अनुसार कराया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है और अपीलार्थीगण व्यथित व्यक्ति नहीं होने से उन्हें नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90क विरूद्ध अपील पेश करनें का अधिकार नहीं है। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। विधि के सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत हम यहां सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं धारा-5 मयाद अधिनियम पर विनिश्चय किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/66) **श्री मेघा गमेती व अन्य बनाम श्री पारू गमेती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाना आवश्यक समझते है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति होने के संबंध में विभिन्न उजरात प्रस्तुत किये जिसके खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 2 द्वारा दृढ़ता से अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति प्रकट हुई है कि अधीनस्थ न्यायायल नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर समक्ष श्री पारू द्वारा जमाबंदी संवत् 2070-2073 प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वह राजस्व ग्राम ढ़ीकली के आराजी संख्या 3262 रकबा 0.2700 हैक्टेयर का रेकर्डेड खातेदार है और एक रेकर्ड खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन विधि अनुसार कराये जाने हेतु अधिकृत है। सवप्रर्थम यह मुख्य रूप से देखा जाना अपेक्षित है कि आवेदित आराजी संख्या 3262 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कभी भी अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रहा है या नहीं। इस संबंध में अभिलेखों पर ऐसा कोई दस्तावेज न तो उपलब्ध है, न ही प्रस्तुत किया गया है जो यह साबित करता हो कि अपीलार्थी आवेदित भूमि का कभी खातेदार काश्तकार रहा हो, या उसके कब्जे में रही हो। इसके अतिरिक्त यह भूमि कभी भी अपीलार्थी की पैतृक भूमि रही हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी अपीलर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति जाहिर नहीं होता है क्योंकि विवादित आराजीयात कभी भी उनके व्यक्तिगत नाम से खातेदारी दर्ज नहीं थी और न ही वह इस भूमि पर मालिक होकर काबिज है। साथ ही उनके कोई वैधानिक अधिकार प्रकट नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार्य योग्य नहीं है। उक्त विनिश्चय के संबंध में यहा हम दफा 96 जादी पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित सिद्वान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है, जो इस प्रकरण में पर चस्पा होते है:

> **RBJ 2014(21) Page 388**: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – When name of petitioner has not been entered in the revenue record, he has not Locus Standi to challenge the order passed under section 90B. It is abundantly clear that the petitioner is claiming his right on the ground that his name was erroneously not entered in the revenue record and respondent No. 5 and 6 got conversion of land in their favour under section 90B of the Act of 1956. The Divisional Commissioner has rightly rejected the petitioner's prayer on the ground that he has no locus standi because as per petitioner admission, his name is not entered in revenue record. However, if any right will be determined by the Civil Court in the suit filed by him. Then, the petitioner will be at liberty to raise voice against the order passed under section 90B of the Act of 1956 but at this stage no relief can be granted to the petitioner solely on the ground that his name is not entered

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/66) **श्री मेघा गमेती व अन्य बनाम श्री पारू गमेती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

in the revenue record. Writ petition dismissed.

RBJ 2011(18) Page 510: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – Only a person who has interest in the land, can challenge acquisition of land – it is a well settled proposition of law that is only a person, who has an interest in the land, can challenge acquisition. When a challenge is made to an acquisition at a belated stage, then even of the court is inclined to allow such a belated challenge, it must first satisfy itself that the person challenging acquisition has title to the land. Writ petition dismissed.

मयाद के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा अपने अपने कथन प्रस्तुत किये जिसमें अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश परोक्ष रूप से पारित किये जाने का प्रमुख उज्र प्रस्तुत किया जिसके खण्डन के अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी आरम्भ से होने का कथन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अखबार उजरदारी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया परन्तु अखबार प्रकाशन के उपरान्त किसी प्रकार का उज्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अखबार प्रकाशन के उपरान्त यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदित भूमि के संबंध में धारा-90क के तहत प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी अपीलार्थी को न हो। प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी द्वारा 7 माह से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विनिश्चय के संबंध में यहा हम मयाद के बिदुं पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है, जो इस प्रकरण में पर चस्पा होते है:

<u>आर.आर.टी.2017(1) पेज 117 उनवानी वी.एस.मर्तिया व अन्य बनाम जोधाना रियल एस्टेट डेवलमेंट कम्पनी प्रा.लि. (राज.उच्च न्यायालय)</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/66) **श्री मेघा गमेती व अन्य बनाम श्री पारू गमेती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-धारा 100-विलम्ब का शमन-अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब-मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती-उदार दृष्टिकोण नहीं अपना जा सकता अन्यया यह मयाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा - विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं-निर्णित, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य है।

<u>आर.बी.जे(5) 1998 पेज 512 उनवानी हुक्मा बनाम राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर)</u>

Limitation Act, 1963 – Section 5 – When appellant did not explain the reasons for late fiing of the appeal after the knowledge of the judgement passed by the Court against him, delay cannot be condoned – in the present case this was an admitted position that the appellant filed appeal after 10 years from the date of judgement of the RAA. He claimed that he was not informed by his advocate about the judgement passed by the RAA. He come to know through mutation No. 44 against which he filed the appeal which was dismissed. Therefore from the facts it is clear that when he obtained the copy of mutation and filed the appeal against the mutation order he come to know the judgement. But he did not prefer the appeal. Hence from the date of knowledge the appeal is time barred. Therefore, Board of Revenue rejected the appeal as time barred.

उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिसे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। फिर भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की और अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी गई।

दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किया जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा आपत्ति जाहिर की। प्रस्तुत दस्तावेज में से कुद राजकीय विभागों से जारी किये गये प्रमाणित दस्तावेज है जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक होने से सिर्फ मूल प्रमाणित/सत्य प्रतिलिपियां को ही रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति निर्विवादित है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री पारू गमेती द्वारा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर समक्ष राजस्व ग्राम ढ़ीकली तहसील बड़गावं के आराजी संख्या 3262 किता 1 रकबा 0.2700 हेक्टेयर कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ खातेदारी अधिकार समर्पण किये जाने बाबत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 अनुसार आवेदक श्री पारू आवेदित भूमि का खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के राजस्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/66) **श्री मेघा गमेती व अन्य बनाम श्री पारू गमेती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिलेख में अभिलिखित खातेदार श्री पारू ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर समाचार पत्र दैनिक नवज्योति दिनांक 26.03.2022 के अंक में प्रकाशित कर सर्व साधारण से 7 दिवस में आपत्ति आमंत्रित की गई, जिस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्बधित तहसीलदार एवं स्थानीय अधिकारी से सहमति रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के परिक्षण उपरान्त यह पाया कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इन तथ्यों अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदित भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा-90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 दिनांक 22.04.2022 को प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में पारित किया। जहां तक विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की स्थिति का प्रश्न है, अधिवक्ता अपीलार्थी यह साबित नहीं कर पाया है कि वक्त आदेश अन्तर्गत धारा-90क, उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हो या प्रभावी हो। लेख है कि अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में धारा-90क के आदेश विरूद्ध बार-बार अपील मेमों एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अपील अन्तर्गत धारा-75 एलआर एक्ट का अंकन किया गया है, जो गलत अंकन किया गया है, उक्त अपील धारा-90क के तहत पारित आदेश दिनांक 22.04.2022 के विरूद्ध की गई जो जिसकी अपील धारा-90क के तहत प्रावधित है।इस न्यायालय समक्ष धारा-90क के आदेश की विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें किसी के हक व अधिकार साबित नहीं किये जा सकते है। हस्तगत प्रकरण में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार श्री पारू अपनी खातेदारी की भूमि के संबंध में धारा-90क की कार्यवाही चाही गई, इस न्यायालय समक्ष धारा-90क की कार्यवाही में की गई त्रुटि के संबंध में जांच अपेक्षित है जिसमें उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार श्री पारू ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इस संबंध मे हम माननीय राजस्व मण्डल राजस्थाान अजमेर में निम्नांकित दृष्टांत का भी उल्लेख किया जाना उचित पाते है: **RBJ 2014(21) Page 97**: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – When the Khatedar tenant of the land applies for conversion of his khatedari land before authorized officer and after enquiry as per Rules for conversion of land order is passed. Order of conversion cannot be interfered in revision. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजी के राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/66) **श्री मेघा गमेती व अन्य बनाम श्री पारू गमेती व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिलेख में अभिलिखित खातेदारान ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित रूपान्तरण आदेश में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होता है। Revision petition dismissed.

उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। गुणावगुण पर प्रकरण के विस्तृत विश्लेषण एवं परिक्षणोपरांत भी यह पाया गया कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। **परिणामतः अपील अपीलान्ट मयाद बाधित होने, अपीलार्थी के व्यथित व्यक्ति नहीं होने से एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2022 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर